

राजस्थान-सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ,
2, जल पथ, गाँधीनगर, जयपुर

क्रमांक :-प.11(3)10/मो/आई.सी.डी.एस /2011/ 150819

जयपुर, दिनांक:
17/9/18

कार्यालय आदेश

राज्य में समेकित बाल विकास सेवाएं के अन्तर्गत विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 11(3) 10/मो/आई.सी.डी.एस/2011/150819 दिनांक 09.11.2016 में बिन्दु संख्या 3 मानदेय सेवा एवं प्रशिक्षण के उप बिन्दु सं (vi) किसी भी परिस्थिति में संयुक्त परिवार की महिलाएं यथा देवरानी-जिठानी, सास-बहू, ननद-भाभी का एक ही केन्द्र के लिए मानदेय सेवा में चयन नहीं किया जायेगा।

उक्तानुसार परिपत्र के बिन्दु सं 3 (vi) को विलोपित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :-प.11(3)10/मो/आई.सी.डी.एस /2011/ 167075-822

जयपुर, दिनांक:
17-9-18

प्रतिलिपि :-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
- 2 विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, आयुक्त, समेकित बाल विकास सेवाएं, मुख्यालय।
- 5 प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
- 6 आयुक्त, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर राज.।
- 7 समस्त जिला प्रमुख।
- 8 समस्त जिला कलेक्टर।
- 9 समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
- 10 समस्त उप-निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।
- 11 प्रधान समस्त पंचायत समिति।
- 12 समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति।
- 13 समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं।
- 14 समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
- 15 ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



अति. निदेशक (आई)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर